प्रस्ताव
47 आपराधिक दंड। साधारण अपराध सम्बन्धी दंड। पहल सम्बन्धी कानून।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार किया गया**

आपराधिक दंड। साधारण अपराध सम्बन्धी दंड। पहल सम्बन्धी कानून।

- नशीली दवा रखने के कुछ अपराधों के लिए घोर अपराध के बजाय साधारण अपराध सम्बन्धी दंड की आवश्यकता है।
- संबद्ध राशि $950 या उससे कम होने पर निम्नलिखित अपराधों के लिए घोर अपराध के बजाय साधारण अपराध सम्बन्धी दंड की आवश्यकता है। छोटी-मोटी चोरी, चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करना, और चेक पर नकली हस्ताक्षर करना/गलत चेक जारी करना।
- इन अपराधों के लिए उस दशा में घोर अपराध सम्बन्धी सजा की अनुमति देता है अगर व्यक्ति को पूर्व में बलात्कार, कत्ल, या बच्चे से छेड़खानी जैसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो या वह यौन अपराधी के रूप में पंजीकृत हो।
- इन अपराधों के लिए घोर अपराध सम्बन्धी सजा भुगत रहे व्यक्तियों के लिए पुनर्दंड आवश्यक है जब तक कि अदालत को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम अतर्कसंगत न लगे।
- मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवाओं के सेवन सम्बन्धी उपचार कार्यक्रमों, K–12 स्कूलों, और अपराध के शिकार लोगों के लिए बचत लागू करता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- राज्य की आपराधिक न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित शुद्ध बचत सालाना कुछ सैंकडों मिलियन डॉलर तक पहुँच सकती है। ये बचत स्कूल से अकारण गैरहाजिर रहने और पढ़ाई छोड़ देने वालों की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों के सेवन सम्बन्धी उपचार, और पीड़ित व्यक्ति से सम्बन्धित सेवाओं पर खर्च की जायेंगी।
- काउंटी की आपराधिक न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित शुद्ध बचत सालाना कई सौ मिलियन डॉलर तक पहुँच सकती है।

47

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण जारी

पृष्ठभूमि

अपराध तीन प्रकार के होते हैं: घोर अपराध, दुष्कर्म, और अतिक्रमण। घोर अपराध सबसे गंभीर प्रकार का अपराध है। मौजूदा कानून कुछ घोर अपराध को "हिंसक" या "गंभीर", या दोनों के रूप में वर्गीकृत करता है। वर्तमान में हिंसक और गंभीर, दोनों के रूप में परिभाषित घोर अपराधों में शामिल हैं हत्या, डकैती, और बलात्कार। हिंसक या गंभीर रूप में वर्गीकृत न किए जाने वाले घोर अपराधों में शामिल हैं बड़ी चोरी (जिसमें बंदूक शामिल नहीं) और अवैध नशीले पदार्थ पास रखना। दुष्कर्म एक कम गंभीर अपराध है। दुष्कर्मों में शामिल हैं हमला और सार्वजनिक रूप से नशा करने जैसे अपराध। अतिक्रमण एक कम गंभीर अपराध है और आम तौर पर इसे जुर्माने द्वारा दंडित किया जाता है। उदाहरण के लिए, निजी इस्तेमाल हेतु एक औंस से कम मरिवाना कब्जे में रखना अतिक्रमण है।

घोर अपराध के लिए सजा देना। हाल के वर्षों में, California में औसतन लगभग 220,000 लोगों को प्रति वर्ष अपराधी घोषित किया गया है। घोर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए अपराधियों को निम्नानुसार सजा सुनाई जा सकती है:

- ***राजकीय जेल।*** गंभीर, हिंसक, या यौन अपराधों के लिए वर्तमान या पूर्व में घोर अपराध के दोषियों को राजकीय जेल की सजा सुनाई जा सकती है। किसी गंभीर या हिंसक अपराध के लिए सजा काटने के बाद जेल से रिहा होने वाले अपराधियों पर समुदाय में स्टेट परोल एजेंट द्वारा निगरानी रखी जाती है। किसी ऐसे अपराध के लिए, जो गंभीर या हिंसक न हो, सजा काटने के बाद जेल से रिहा अपराधियों पर सामान्यतः काउंटी परिवीक्षा अधिकारी द्वारा समुदाय में निगरानी रखी जाती है। जब समुदाय में उन पर निगरानी रखी जा रही हो, उस समय पालन किए जाने योग्य नियमों का उल्लंघन करने पर, अपराधियों को उनके आपराधिक इतिहास और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर, काउंटी या राजकीय जेल में भेजा जा सकता है।
- ***काउंटी जेल और सामुदायिक निगरानी।*** गंभीर, हिंसक, या यौन अपराधों के लिए वर्तमान या पूर्व में अपराधी घोषित न किए गए घोर अपराधियों को सामान्यतः काउंटी जेल या समुदाय में काउंटी परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी, या दोनों की सजा दी जाती है। इसके अलावा, जज के विवेक और किए गए अपराध पर निर्भर करते हुए, कुछ अपराधियों को, जिन्हें गंभीर, हिंसक, या यौन अपराधों के लिए वर्तमान या पूर्व में अपराधी घोषित किया गया हो, इसी प्रकार की सजा दी जा सकती हैं। जब समुदाय में उन पर निगरानी रखी जा रही हो, उस समय पालन किए जाने योग्य नियमों का उल्लंघन करने पर, अपराधियों को उनके आपराधिक इतिहास और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर, काउंटी या राजकीय जेल में भेजा जा सकता है।

दुष्कर्म के लिए सजा देना। वर्तमान कानून के तहत, दुष्कर्मों के घोषित अपराधियों को काउंटी जेल, काउंटी सामुदायिक निगरानी, जुर्माना, या इन तीनों में से किसी संयोजित रूप में सजा सुनाई जा सकती है। दुष्कर्म अपराध के लिए काउंटी सामुदायिक निगरानी में रहने वाले अपराधी, जब उन पर समुदाय में निगरानी रखी जा रही हो, तब पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें जेल में रखा जा सकता है।

सामान्यतः दुष्कर्म अपराधों के घोषित अपराधियों को घोर अपराध के दोषी अपराधियों की तुलना में कम गंभीर रूप से दंडित किया जाता है। उदाहरण के लिए, दुष्कर्म अपराधों के लिए अधिकतम एक साल तक जेल की सजा होती है जब कि घोर अपराध के दोषियों को जेल में इससे ज़्यादा समय गुज़ारना पड़ता है। इसके अलावा, दुष्कर्म के घोषित अपराधियों को आम तौर पर कम वर्षों के लिए सामुदायिक निगरानी

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

में रहना पड़ता है और परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा उतनी बारीक़ी से निगरानी नहीं रखी जाती है।

वोबलर अपराध के लिए सजा देना। वर्तमान कानून के तहत, कुछ अपराध—जैसे कि चेक जालसाज़ी और चोरी की संपत्ति पर कब्ज़ा पाए जाने पर—घोर अपराध या दुष्कर्म के रूप में इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध डावाँडोल या "वोबलर" कहलाते हैं। अदालतें अपराध के विवरण और अपराधी के आपराधिक इतिहास के विवरणों के आधार पर निर्णय लेती हैं कि वोबलर अपराधों पर किस प्रकार का अभियोग लगाया जाए।

प्रस्ताव

यह विधेयक मामूली और अहिंसक संपत्ति तथा नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए कुछ घोषित अपराधियों के दंड को कम करता है। यह विधेयक ऐसे कुछ अपराधियों को सजा कम करने का अनुरोध करने के लिए अनुमत करता है जिन्हें पूर्व में ऐसे अपराधों के लिए दोषी पाया गया था। इसके अलावा, इस विधेयक की अपेक्षा है कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप होने वाली राजकीय बचत को पढ़ाई छोड़ने वालों (अकारण अनुपस्थिति) की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी उपचार, एवं पीड़ित व्यक्ति की सेवाओं के समर्थन में खर्च किया जाए। ये परिवर्तन अधिक विस्तार में नीचे वर्णित हैं

वर्तमान दंड में कटौती

यह विधेयक कुछ अ-गंभीर और अहिंसक संपत्ति तथा नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों को वोबलर या घोर अपराध से कम करके दुष्कर्म मानता है। यह विधेयक उन अपराधियों के मामले में इन घटाए गए दंडों को सीमित करता है जिन्होंने कत्ल और कुछ यौन तथा बंदूक संबंधी अपराधों सहित—विधेयक में सूचीबद्ध कुछ गंभीर अपराध नहीं किए हैं। विशेष रूप से, विधेयक निम्नलिखित अपराधों के लिए दंड को कम करता है:

- ***बड़ी चोरी।*** वर्तमान कानून के तहत, $950 या कम कीमत की संपत्ति की चोरी पर अक्सर मामूली चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो एक दुष्कर्म या एक अतिक्रमण है। लेकिन, ऐसे अपराधों पर कभी-कभी बड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, जो कि आम तौर पर वोबलर है। उदाहरण के लिए, वोबलर अभियोग लगाया जा सकता है यदि अपराध में किसी संपत्ति (जैसे कि कार) की चोरी शामिल हो या यदि अपराधी ने पूर्व में कुछ चोरी से संबंधित अपराध किए हैं। यह विधेयक पाबंदी लगाएगा जब $950 या कम मूल्य की संपत्ति की चोरी के मामले में बड़ी चोरी के रूप में इल्ज़ाम लगाया जाएगा। विशेष रूप से, ऐसे अपराधों को आगे सिर्फ़ शामिल संपत्ति के प्रकार की वजह से बड़ी चोरी का अभियोग थोपा नहीं जाएगा या इसलिए कि प्रतिवादी ने पूर्व में कुछ चोरी से संबंधित अपराध किए हैं।
- ***उठाईगिरी।*** वर्तमान कानून के तहत, $950 या उससे कम (एक मामूली प्रकार की चोरी) कीमत की संपत्ति की उठाईगिरी अक्सर दुष्कर्म है। लेकिन, इस प्रकार के अपराधों के लिए चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, जो कि वोबलर है। इस विधेयक के तहत, $950 या कम कीमत वाली संपत्ति की उठाईगिरी हमेशा ही दुष्कर्म है और उस पर चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

जारी

- ***चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना।*** वर्तमान कानून के तहत, चोरी की संपत्ति के साथ पाए गए व्यक्तियों पर चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए आरोप लगाया जा सकता है, जो कि वोबलर अपराध है। इस विधेयक के तहत, $950 या कम कीमत वाली संपत्ति प्राप्त करना हमेशा दुष्कर्म होगा।
- ***अशोध्य या खोटा चेक लिखना।*** वर्तमान कानून के तहत, एक अशोध्य चेक लिखना सामान्यतः दुष्कर्म है। लेकिन, यदि चेक का मूल्य $450 से अधिक है, या यदि अपराधी ने पहले जालसाज़ी से संबंधित कोई अपराध किया है, तो वह वोबलर अपराध है। इस विधेयक के तहत, अशोध्य चेक लिखना दुष्कर्म होगा जब तक कि चेक का मूल्य $950 से अधिक न हो या अपराधी ने पहले जालसाज़ी से संबंधित तीन अपराध न किए हों, जिस स्थिति में वह वोबलर अपराध होगा।
- ***चेक की जालसाज़ी।*** वर्तमान कानून के तहत, किसी भी राशि के चेक की जालसाज़ी वोबलर अपराध है। इस विधेयक के तहत, $950 या उससे कम मूल्य के चेक की जालसाज़ी हमेशा दुष्कर्म ही रहेगी, सिवाय उस स्थिति में यह वोबलर अपराध बनेगा यदि अपराधी ने चेक की जालसाज़ी के संबंध में पहचान की चोरी की है।
- ***नशीली दवाओं को पास रखना।*** वर्तमान कानून के तहत, व्यक्तिगत उपयोग के लिए अधिकांश अवैध नशीले पदार्थ (जैसे कि कोकीन या हेरोइन) पास रखना—नशीले पदार्थ की मात्रा और प्रकार के आधार पर- दुष्कर्म, या वोबलर, या घोर अपराध है। इस विधेयक के तहत, ऐसे अपराध हमेशा दुष्कर्म होंगे। विधेयक की वजह से किसी व्यक्ति के पास मरिवाना पाए जाने पर दंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि वर्तमान में अतिक्रमण या दुष्कर्म है।

हमारा अनुमान है कि प्रति वर्ष लगभग 40,000 अपराधियों को उपर्युक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है और इस विधेयक द्वारा वे प्रभावित होंगे। तथापि, यह अनुमान उपलब्ध सीमित डेटा पर आधारित है और अपराधियों की वास्तविक संख्या हज़ारों में अधिक या कम हो सकती है।

इन अपराधियों के लिए दंड में परिवर्तन। चूँकि उपर्युक्त अपराध मामूली और अहिंसक हैं, वर्तमान में अधिकांश अपराधियों को काउंटी स्तर पर ही नियंत्रित किया जा रहा है। इस विधेयक के तहत, यथा स्थिति जारी रहेगी। लेकिन सजा की अवधि – जेल समय और या सामुदायिक निगरानी—कम होंगे। उपर्युक्त अपराधों के दोषियों का अपेक्षाकृत छोटा अंश—लगभग एक-दहाई—वर्तमान में राजकीय जेल में भेजे गए हैं (सामान्यतः इसलिए कि उन्हें पूर्व में गंभीर या हिंसक अपराध के लिए दोषी पाया गया)। इस विधेयक के तहत, इन अपराधियों में से किसी को भी राजकीय जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बजाय, उन्हें काउंटी स्तर पर कम दंड भोगना पड़ेगा।

पूर्व में घोषित अपराधियों को पुनः सजा सुनाना

यह विधेयक उपर्युक्त अपराधों के लिए वर्तमान में घोर अपराध की सजा भुगतने वाले अपराधियों को अपने घोर अपराध की सजा को दुष्कर्म सजा में घटाने के लिए आवेदन देने की अनुमति देगा। इसके अलावा, ऐसे कुछ अपराधी जो घोर अपराध के लिए पहले ही इस विधेयक द्वारा परिवर्तित होने वाली सजा भुगत चुके हैं, वे अपने घोर अपराध के दोष को दुष्कर्म में बदलने के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन, किसी भी ऐसे अपराधी को, जिसने निर्दिष्ट गंभीर अपराध किया है, दुबारा सजा नहीं

प्रस्ताव 47 के पूरे मूलपाठ के लिए, पृष्ठ 70 देखें।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

सुनाई जा सकती या उसकी सजा बदली नहीं जा सकती है। इसके अलावा, विधेयक व्यक्त करता है कि वर्तमान में घोर अपराध की सजा भुगतने वाले अपराधी को अदालत द्वारा पुनः सजा देने की ज़रूरत नहीं, यदि अदालत को इस बात की संभावना लगती है कि अपराधी निर्दिष्ट गंभीर अपराध कर सकता है। पुनः सजा सुनाए गए अपराधियों को एक वर्ष के लिए राजकीय परोल पर रहने की ज़रूरत है, बशर्ते कि जज उस आवश्यकता को हटाने का चयन करता है।

स्कूल से अकारण ग़ैरहाज़िर रहने को रोकने, उपचार, और पीड़ितों की सेवाओं के लिए वित्त-पोषण

विधेयक की अपेक्षा है कि गवर्नर के प्रशासन द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, विधेयक से होने वाली राजकीय वार्षिक बचत का सामान्य निधि से नई राजकीय निधि, सुरक्षित नेबरहुड और स्कूल निधि में वार्षिक अंतरण किया जाए। विधेयक के तहत, निधि की धनराशि को निम्नतः विभाजित किया जाएगा:

- सार्वजनिक स्कूलों में K–12 विद्यार्थियों के अकारण ग़ैरहाज़िर रहने और पढ़ाई छोडने वालों की रोकथाम के लक्ष्य हेतु 25 प्रतिशत अनुदान।
- पीड़ित व्यक्ति से संबंधित सेवाओं के लिए अनुदान 10 प्रतिशत ।
- मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी उपचार सेवाओं के लिए, जो लोगों को राजकीय जेल और स्थानीय जेल से बाहर रखने में मदद के लिए निर्दिष्ट है, 65 प्रतिशत।

राजकोषीय प्रभाव

यह विधेयक राज्य और स्थानीय सरकारों पर कई राजकोषीय प्रभाव डालेगा। इन प्रभावों की मात्रा कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगी। विशेष रूप से, यह विधेयक द्वारा परिवर्तित घोर अपराध के लिए वर्तमान में दोषी ठहराए जाने वालों पर निर्भर करेगा। वर्तमान में, विशेष रूप से काउंटी स्तर पर, इस पर सीमित डेटा उपलब्ध है। राजकोषीय प्रभाव भी इस पर निर्भर होगा कि विधेयक के कुछ प्रावधान किस प्रकार कार्यान्वित होंगे, जिसमें शामिल है विधेयक द्वारा परिवर्तित अपराधों के लिए अपराधियों को किस प्रकार सजा सुनाई जाएगी। उदाहरण के लिए, यह अनिश्चित है कि क्या ऐसे अपराधियों को जेल की सजा होगी या सामुदायिक निगरानी, तथा इसकी अवधि क्या होगी। इसके अलावा, राजकोषीय प्रभाव भारी रूप से विधेयक द्वारा प्रभावित ऐसे अपराधों की संख्या पर निर्भर होंगे, जो भविष्य में किए जाएँगे। इस प्रकार, विधेयक के राजकोषीय प्रभाव नीचे वर्णित महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के अधीन हैं।

घटाए गए दंडों पर राजकीय प्रभाव

दंड में प्रस्तावित कमी राजकीय जेल, परोल, और अदालती लागतों को प्रभावित करेगी।

राजकीय जेल और परोल। यह विधेयक दो परिवर्तन करता है जो राजकीय जेल की आबादी और संबंधित लागतों को कम करेगा। पहले, भावी अपराधों को घोर अपराध और वोबलर अपराधों से दुष्कर्म में बदलने के फलस्वरूप कम अपराधी राजकीय जेल की सजा के लिए पात्र होंगे। हमारा अनुमान है कि इसके परिणामस्वरूप कुछ वर्षों में राजकीय जेल में कई हज़ार क़ैदियों की आबादी में निरंतर कमी आएगी। दूसरे, वर्तमान में राजकीय जेल के क़ैदियों को पुनः सजा सुनाने के परिणामस्वरूप कई हज़ार क़ैदियों की रिहाई होगी, जिससे विधेयक के कानून बनने के बाद कई वर्षों के लिए राजकीय जेल की आबादी अस्थाई रूप से घट जाएगी।

इसके अलावा, वर्तमान में दुष्कर्म में बदले जाने वाले घोर अपराध के लिए सजा काटने वाले व्यक्तियों को पुनः सजा सुनाने से तीन वर्ष की अवधि के लिए कई हज़ार लोगों को परोल पर छोड़े जाने से राजकीय परोल आबादी में अस्थाई बढोत्तरी होगी। परोल आबादी की इस बढ़ोतरी से जुड़ी लागतें अस्थाई रूप से उपर्युक्त जेल बचत के एक अंश को समायोजित करेगी।

राज्य न्यायालय इस विधेयक के तहत, अपराधियों को पुनः सजा सुनाए जाने और जिन लोगों ने पहले ही अपनी सजा पूरी की है, उनकी सजा में परिवर्तन के फलस्वरूप अदालतों को एक-बारगी लागत वृद्धि का अनुभव होगा। तथापि, अदालतों की उपर्युक्त लागतें अन्य क्षेत्रों में बचत द्वारा आंशिक रूप से समायोजित होंगी। पहले, आम तौर पर घोर अपराध की तुलना में दुष्कर्मों की प्रक्रिया में अदालत का कम समय लगता है, ऐसे मामलों के लिए दंड में प्रस्तावित कटौती से संसाधनों की मात्रा भी घट जाएगी। दूसरे, विधेयक अपराधियों द्वारा काउंटी सामुदायिक निगरानी पर खर्च किए जाने वाले समय में कटौती करेगा, जिसके परिणामस्वरूप किसी निश्चित समय में निगरानी में रहने वाले अपराधियों की संख्या कम रहेगी। इससे संभावित रूप से सामुदायिक निगरानी में रहते समय अपराधियों द्वारा जिन नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें तोड़ने वाले अपराधियों के लिए अदालती सुनवाई की संख्या में कटौती होगी। कुल मिलाकर, हमारा अनुमान है कि विधेयक के परिणामस्वरूप अदालती लागतों में कुछ वर्षों के लिए निवल बढोत्तरी होगी, जब कि उसके बाद निवल बचत हो सकती है।

राजकीय राजकोषीय प्रभावों का सारांश। समग्रतः, हमारा अनुमान है कि ऊपर वर्णित प्रभाव मुख्य रूप से न्यूनतम लाखों अपराधियों की जेल आबादी सतत रूप से कम करते हुए, अंततः वार्षिक रूप से करोड़ों डॉलर निवल राजकीय आपराधिक न्याय प्रणाली में बचत कर सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, किसी भी प्रकार की राजकीय बचत को विभिन्न प्रयोजनों के समर्थन के लिए सुरक्षित नेबरहुड और स्कूल फंड में जमा किया जाएगा।

सीमित दंड के काउंटी प्रभाव

दंड में प्रस्तावित कमी से काउंटी जेल और सामुदायिक निगरानी और साथ ही, अन्य काउंटी एजेंसियों (जैसे कि सार्वजनिक रक्षक और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ़्तर) के परिचालन भी प्रभावित होंगे।

काउंटी जेल और सामुदायिक निगरानी। दंड में प्रस्तावित कमी के काउंटी जेलों में बंद असंख्य व्यक्तियों पर भी विभिन्न प्रभाव होंगे। इनमें महत्वपूर्ण है, विधेयक जेल की आबादी को कम करेगा क्योंकि अधिकांश अपराधी जिनकी सजा में वर्तमान में जेल में रहना शामिल है, वे कम अवधि के लिए जेल में रहेंगे। इसके अलावा, कुछ घोर अपराधों के लिए जेल की सजा भुगतने वाले कुछ अपराधी रिहाई के लिए पात्र हो सकते हैं। इन कटौतियों का ऐसे अपराधियों से जेल की आबादी बढ़ने की वजह से थोड़ा समंजन होगा जिन्हें अन्यथा राजकीय जेल की सजा होती, जिन्हें अब स्थानीय जेल में रखा जाएगा। संतुलन की दृष्टि से, हमारा अनुमान है कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप राज्यव्यापी काउंटी जेल में मुक्त बिस्तरों की कुल संख्या कुछ वर्षों में सालाना कुछ लाख में पहुँच जाएगी। तथापि, हम नोट करते हैं कि इसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि काउंटी जेल की आबादी भी उसी मात्रा में घट जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में कई काउंटी जेलों में अधिक भीड़ जमा है और, इस वजह से क़ैदियों की शीघ्र रिहाई की जाती है। ऐसे जेल, इस प्रकार की शीघ्र रिहाई को कम करने के लिए, विधेयक द्वारा उत्पन्न जेल में उपलब्ध जगह का उपयोग कर सकते हैं।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

हमारा यह भी अनुमान है कि काउंटी सामुदायिक निगरानी वाली आबादी में गिरावट आएगी। यह इसलिए कि अपराधियों द्वारा इस प्रकार की निगरानी के अधीन कम समय बिताने की संभावना बनती है अगर उन्हें घोर अपराध के बजाय दुष्कर्म के लिए सजा सुनाई जाती है। इस प्रकार, काउंटी परिवीक्षा विभाग विधेयक के कानून बनने के कुछ ही वर्षों के अंदर अपने केस-लोड में लाखों अपराधियों की कमी अनुभव कर सकते हैं।

अन्य काउंटी आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभाव। ऊपर की गई चर्चा के अनुसार, दंड में कटौती से अल्पावधि में ही पुनः सजा सुनाए जाने से जुड़ा कार्यभार बढ़ सकता है। लेकिन, परिवर्तनों से लंबे समय में घोर अपराध दर्ज करने और अन्य अदालती सुनवाइयों (जैसे कि अपने सामुदायिक निगरानी के नियमों को तोड़ने वाले अपराधियों के लिए), दोनों से जुड़े काम के बोझ में कमी आ सकती है। परिणामस्वरूप, पहले कुछ वर्षों में जहाँ काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और सार्वजनिक रक्षकों के कार्यालय (जो इन सुनवाइयों में भाग लेते हैं) और काउंटी शेरिफ़ (जो अदालत में सुरक्षा प्रदान करते हैं) अधिक काम का बोझ महसूस कर सकते हैं, वहीं लंबे समय में उनका कार्यभार सतत आधार पर कम होता जाएगा।

काउंटी राजकोषीय प्रभावों का सारांश। हमारा अनुमान है कि ऊपर वर्णित प्रभावों के परिणामस्वरूप काउंटियों को, मुख्य रूप से जेल क्षमता मुक्त करने की वजह से, निवल आपराधिक न्याय प्रणाली बचत में लाखों मिलियन डॉलर की सालाना बचत होगी।

जारी

विधेयक द्वारा वित्त-पोषित वर्धित सेवाओं का प्रभाव

विधेयक के तहत, अकारण ग़ैरहाज़िर रहने और पढ़ाई छोड़ देने वालों की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी उपचार, और अपराधियों को राजकीय जेल और स्थानीय जेल से बाहर रखने के लिए अभिकल्पित अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त वित्त-पोषण हेतु उपर्युक्त बचत का उपयोग किया जाएगा। यदि इस तरह के वित्त-पोषण से इन कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ती है और उससे प्रतिभागियों द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना घटती है, तो विधेयक के परिणामस्वरूप राज्य और काउंटियों को भविष्य में अतिरिक्त बचत हो सकती है।

इस प्रतिस्पर्धा में दिए गए धन के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए *http://cal-access.sos.ca.gov* पर जाएँ।

प्रस्ताव 47 के पूरे मूलपाठ के लिए, पृष्ठ 70 देखें।